CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of article 217*) by Shri P. R. Patel

Shri P. R. Patel (Patan): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri P. R. Patel: I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of the Seventh Schedule*) by Dr. L. M. Singhvi

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Singhvi.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर ।

श्री राम सेवक यादव : माननीय सदस्य, सिंघवी साहब, जो प्रस्ताव करने जा रहे हैं, उस विधेयक की जो प्रति हम लोगों को मिली है,

उपाध्यक्ष महोदय : पहले माननीय सदस्य को मोशन कर लेने दीजिये और बाद में व्यवस्था का प्रश्न उठाइये ।

Dr. L. M. Singhvi (Jodhpur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

श्री राम सेवक यादव : हम लोगों को इस विधेयक की जो प्रतिलिपि मिली है, उसमें दिया गया है कि ३ अप्रैल, १९६४ को इस का नोटिस दिया गया । नियम के अनुसार

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किस बिल की बात कर रहे हैं ?

एक माननीय सदस्य : यह तो कांस्टीट्यूशन (एमेंडमेंट) बिल है ।

श्री राम सेवक यादव : अच्छा ?

(*Interruption*)

Mr. Deputy-Speaker: This is a different Bill. The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Dr. L. M. Singhvi: I introduce the Bill.

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of sections 3 and 5*) by Shri Raghunath Singh

Mr. Deputy-Speaker: Shri Raghunath Singh.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): I rise to a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Let the motion be moved first and let me place it before the House. He cannot oppose it now.

---

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 10th April, 1964.

Shri S. M. Banerjee: I rise to a point of order.

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद) : एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi): I have not still asked for leave and my hon. friends have got some objection.

I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954.

Shri S. M. Banerjee: I wish to oppose it.

श्री राम सेवक यादव: उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

Mr. Deputy-Speaker: Let me first place it before the House.

Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ सिंह ने, जो कि कांग्रेस पार्टी के महामंत्री हैं, बनारस के माननीय सदस्य हैं, और मैं ने सुना है कि बनारस के बिड़ला भी हैं, जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि हम को विधेयक की जो प्रतिलिपि मिली है, उसमें साफ है कि इस विधेयक का नोटिस ३ अप्रैल, १९६४ को दिया गया। नियमानुसार किसी भी प्राइवेट सदस्य को विधेयक प्रस्तुत करने के लिए एक महीने का नोटिस देना चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि बगैर एक महीने के नोटिस के यह विधेयक किस तरह से यहां पर आ गया ।

दूसरा निवेदन यह है कि . . . .

उपाध्यक्ष महोदय : कौन सा नियम है ?

श्री राम सेवक यादव : मैं अभी नियम पर आ रहा हूं । आप पूरी बात सुन लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले बतायें कि कौन सा नियम है ।

(*Interruptions.*)

श्री राम सेवक यादव : नियम का नम्बर मुझे मालूम नहीं है। (*Interruptions*) मेरी पूरी बात सुन लें ।

श्री रघुनाथ सिंह : माननीय सदस्य रुपया न लें ।

श्री राम सेवक यादव : अगर स्पीकर अनुमति दें, तो उस समय को घटाया जा सकता है या उस नियम को वेव किया जा सकता है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : नियम कौन सा है ?

श्री राम सेवक यादव : हम को नम्बर से मतलब नहीं है। नम्बर से माननीय सदस्य को मतलब है। हम को तो नियम के तात्पर्य से मतलब है ।

श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि या तो स्पीकर ने अनुमति दी—अगर नहीं दी, तो यह विधेयक मूव नहीं हो सकता है—और अगर उन्होंने अनुमति दी है, तो ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण कारण है कि ऐसी संकट-कालीन स्थिति में इस नियम को वेव किया गया है? यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ?

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले एक खत्म हो जाये, उसके बाद ।

डा० राम मनोहर लोहिया : बहुत अच्छा ।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि स्पीकर साहब ने अनुमति दी है, इसलिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री स० मो० बनर्जी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्ट्रोडक्शन स्टेज पर इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं ।

Mr. Deputy-Speaker: It is a different matter.

Shri S. M. Banerjee: I want to oppose the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: He can do it. I will give him an opportunity. But he has no point of order.

Shri S. M. Banerjee: I want to oppose it.

Mr. Deputy-Speaker: Please resume your seat.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, आप ने इस के लिए विशेष अनुमति वक्ती तौर पर दी है । आप मेरी बात सुनीजिये । शायद आप उससे अपनी विशेष अनुमति वापस ले लेंगे । (*Interruptions*). यह सवाल असल में . . . (*Interruptions*)

श्री शिव नारायण (बांसी) : आन ए पायंट आफ़ आर्डर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आजकल चीजों के दाम . . . (*Interruptions*).

श्री शिव नारायण : आन ए पायंट आफ़ आर्डर, सर ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपा कर के आप बैठ जाइये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : आजकल चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, शायद इसीलिये श्री रघुनाथ सिंह जी यह मस्विदा लाये हैं– इसलिए . . . . (*Interruptions*)

Shri Khadilkar (Khed): On a point of order....

Mr. Deputy-Speaker: Let him finish.

डा० राम मनोहर लोहिया : इसलिए बजाये इस के कि सदस्य लोग, जो कानून बनाते हैं, खुद अपनी तनख्वाहें बढ़ायें . . . . (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है, यह बता दीजिए ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जी, हां । कानून बनाने वाले चीजों के दामों को घटायें, न कि अपनी तन्ख्वाहों को बढ़ायें । इस चीज को ले कर के एक आदमी–श्री राज नारायण सिंह अपनी जान तक दे रहा है । मैं चाहता हूं कि आप अपनी विशेष अनुमति . . .

एक माननीय सदस्य : वापस ले लें ।

डा० राम मनोहर लोहिया : . . . . इस मसविदे को न दें । उस के लिए मैं आप के सामने तर्क रख रहा हूं । (*Interruptions*) अगर चिल्लायेंगे, तो फिर दूसरी तरफ चल्लाना शुरू हो जायेगा । (*Interruptions*) अपनी ताकत बजाये अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए लगाओ, चीजों के दाम घटाने के लिए क्यों नहीं लगाते हो ? मैं आप को तर्क दे रहा हूं कि क्यों आप अपनी अनुमति वापस ले लें । (*Interruptions*) आप को इस कानून के लिए, इस मस्विदे के लिए, अपनी अनुमति नहीं देनी चाहिए । नहीं तो सार

संसार कहेगा कि ये कानून बनाने वाले लोग खाली अपने स्वार्थ को जानते हैं और ४४ करोड़ के हित को नहीं जानते हैं । (*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बिल के मैरिट्स पर बोल रहे हैं । यह स्पीकर का निर्णय है और वह आखिरी बात है । इसलिए यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस समय कुर्सी पर जो अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, हम उन को अपील कर रहे हैं कि वह इस बारे में निर्णय करें ।

Shri S. M. Banerjee *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: I will give him a chance to speak later and then the Mover will reply.

Shri S. M. Banerjee: I want to oppose it now.

Mr. Deputy-Speaker: He can oppose it now.

Shri S. M. Banerjee: I oppose this particular Bill.

Shri Khadilkar: On a point of order. May I remind the Deputy-Speaker that there is a convention in this House that at the introduction stage no opposition voice is raised? When the question of consideration comes in, then alone somebody is allowed to speak.

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member is an experienced parliamentarian. There is no point of order in this.

Shri S. M. Banerjee: I oppose this for two or three reasons.

This particular Bill seeks to raise the salary of the Members of Parliament from Rs. 400 to Rs. 500, and also the daily allowance from Rs. 21 to Rs. 31 per day. This Bill is being introduced by so many Members of Parliament.

Mr. Deputy-Speaker: You have got to state only the reasons why you oppose the Bill, and not go into the merits of the case.

Shri S. M. Banerjee: At a time when there are 27 crores of people in this country who are getting only 7½ annas per day,....

Shri Raghunath Singh: Why do you get Rs. 400?

Shri S. M. Banerjee: ....at a time when only Rs. 2 has been sanctioned to the Central Government employees as dearness allowance, I say we shall be doing something immoral if we raise our salary. I would request you, and through you the members of the ruling party especially, to see that such a Bill does not come in this House, as we would become the subject-matter of controvery. This is a shameful thing. I oppose this Bill tooth and nail. Let there be voting and a clear-cut picture as to who wants the salary to be increased and who does not want it to be increased.

श्री राम सेवक यादव : इसी सिलसिले में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें ...

श्री राम सेवक यादव : मेरा निदनवे सुन लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक ही माननीय सदस्य को, आप की पार्टी के, मौका मिल सकता था और वह मिल चुका है । अब आप कुछ नहीं कह सकते हैं ।

Shri Raghunath Singh: I introduce the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: You have to give reasons why you want the Bill to be introduced.

श्री रघुनाथ सिंह : जो सब से बड़ा कारण है वह मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं आप को अपनी ही एग्जैम्पल देता हूं। पिछले पांच महीनों के अन्दर मैं एक पैसा भी अपनी सैलेरी में से नहीं ले पाया हूं।

श्री राम सेवक यादव : इस से क्या मतलब ?

श्री रघुनाथ सिंह : यहां जितने भी माननीय सदस्य हैं . . .

श्री स० मो० बनर्जी : इन की तनख्वाह बढ़ा दी जाये।

श्री काशी नाथ पांडे (हाता) : साढ़े सात आने जब सारे लोग पाते हैं तो आप के पास भी साढ़े सात आने कट कर जो बचता है, उस को आप भी सरेंडर क्यों नहीं कर देते हैं ?

श्री राम सेवक यादव : उन को बिड़ला के खाते से दे दिया जाए।

एक माननीय सदस्य : उन की तनख्वाह में से काट लिया जाए और उनको दे दिया जाए।

श्री स० मो० बनर्जी : अपने दामन को देखो, गरीब किसान को देखो।

Shri K. N. Pande: People are convinced by actions, not by words.

Shri S. M. Banerjee: What is this? Why should he disturb like this?

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Member cannot go on like this.

Shri S. M. Banerjee: You did not follow him. He is the agent of these capitalists.

श्री रघुनाथ सिंह : हमारे डा० लोहिया साहब ने इस बात को स्वीकार किया है और अपोजीशन के दूसरे माननीय सदस्यों ने भी स्वीकार किया है . . . .

श्री राम सेवक यादव: डा० लोहिया ने तनख्वाह बढ़ाने को नहीं कहा है। गलत बात मत कहें।

श्री रघुनाथ सिंह : अपनी सभ्यता का परिचय आप दे रहे हैं।

श्री राम सेवक यादव : इससे बड़ी संकटकालीन स्थिति और क्या हो सकती है कि २७ करोड़ तो तीन आना खाते हैं और आप पांच सौ रुपया लेना चाहते हैं .

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

श्री रघुनाथ सिंह : उन्होंने स्वीकार किया है कि दाम बहुत अधिक हो गए हैं। आज हम लोगों को अपने मकानों का जो किराया देना पड़ता है, वह कितना देना पड़ता है, इस को देखा जाए, टेलीफोन का कितना बिल देना पड़ता है, इस को भी देखा जाये। यह बहुत ज्यादा होता है, चाहे कोई माननीय सदस्य कहे या न कहे, सभी हृदय में इस बात को अनुभव करते हैं कि इस में काम चलने वाला नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम पार्लियामेंट के मेम्बर ईमानदार और सच्चा बनना चाहते हैं, तो उस के लिए उचित वातावरण भी हमें उपस्थित करना चाहिये . . .

श्री राम सेवक यादव : कारखाने की व्यवस्था कर दीजिये इन के लिए। इन को कारखाना दे दीजिए।

श्री रघुनाथ सिंह: हमारे दोस्तों ने गरीबों की तरफ से आवाज उठाई है और कहा है कि साढ़े सात आने वे पाते हैं। चूंकि उन की इतनी आमदनी है इसवास्ते हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़नी चाहियें। अगर हिन्दुस्तान के लोगों की तरह से ३०० रुपये में से या ३९९ रुपये में से साढ़े सात आने या साढ़े छः आने रख कर बाकी

के आप ने छोड़ दिये होते या साढ़े छः आने ही छोड़ दिये होते तो आप को कहने का यह हक था। आप पूरी सैलरी ले रहे हैं, पूरा आप डी० ए० ले रहे हैं, पूरा टी० ए० ले रहे है।

ऐसी अवस्था में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पार्लियामेंट के मेम्बरों को अगर ईमानदारी से काम करना है, सच्चाई से काम करना है तो उस के लिए अनकल वातावरण भी उपस्थित किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल को उपस्थित करता हूं।

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order. This is an insinuation. Kindly give me a chance.

Mr. Deputy-Speaker: It should be very short. (*Interruptions*).

डा० राम मनोहर लोहिया : दो घटवाने वाली बात ना कहो।

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: There cannot be any point of order now. I am not allowing any point of order.

Shri S. M. Banerjee: You hear me.

Mr. Deputy-Speaker: Not now.

Shri S. M. Banerjee: Can I not raise a point of order? Without hearing me, can you say there is no point of order?

Mr. Deputy-Speaker: I have given you sufficient opportunity. There cannot be a reply now.

Shri S. M. Banerjee: I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: What is the point of order?

Shri S. M. Banerjee: When he was replying, he said:

"अगर यहां के सदस्य ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करना है तो इन की तनख्वाह बढ़ाई जाए।" इस को उन्हों ने रिपीट किया है। यह एक इंसिन्यूएशन है कि अगर तनख्वाह नहीं बढ़ती है तो जितने भी सदस्य हैं .....

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डर . . . .।

श्री कछवाय मतलब इस का यह हुआ कि चार सौ रुपये लेने वाला तो बेईमान है लेकिन पांच सौ लेने वाला ईमानदार हो जायेगा।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Salaries and Allowances of Members of Parliament Act, 1954."

The Lok Sabha divided.

Div. No. 16] AYES **[15:21 hrs.**

Akkamma Devi, Shrimati	Chavda, Shrimati Johraben A.	Kedaria, Shri C. M.
Alva, Shri Joachim	Das, Shri B.K.	Khadilkar, Shri
Ancy, Dr. M. S.	Deo Bhanj, Shri P.C.	Kotoki, Shri Liladhar
Anjanappa, Shri	Dhuleshwar, Meena, Shri	Koya, Shri
Babunath Singh, Shri	Dighe, Shri	Lalit Sen, Shri
Badruddula, Shri	Dubey, Shri R. G.	Laskar, Shri N. R.
Basappa, Shri	Gahmari, Shri	Mahadeva Prasad, Dr.
Basumatari Shri	Ganapati Ram, Shri	Mahishi, Dr. Sarojini
Baswant, Shri	Hansda, Shri Subodh	Malhotra, Shri Inder J.
Bhanja Deo, Shri L. N.	Hanumanthaiya, Shri	Maniyangadan, Shri
Bhatkar, Shri	Jadhav, Shri M. L.	Mehta, Shri J. R.
Bist, Shri J. B. S.	Jadhav, Shri Tulshidas	Mengi, Shri Gopal Datt
Brajeshwar Prasad, Shri	Jedhe, Shri	Mishra, Shri Bibudhendra
Chandrasekhar, Shrimati	Jena, Shri	Mohanty, Shri G.
	Kappen, Shri	Morarka, Shri

More, Shri K. L.
Mukane, Shri
Munzni, Shri David
Muthiah, Shri
Niranjan Lal, Shri
Pande, Shri K. N.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Parashar, Shri
Patel, Shri N.N.
Patel, Shri P. R.
Patel, Shri Rajeshwar
Patil, Shri D. S.
Patil, Shri S. B.
Prabhakar, Shri Naval
Pratap Singh, Shri
Raghunath Singh, Shri
Rajdeo Singh, Shri
Ram, Shri T.
Ram Swarup, Shri
Ramaswamy, Shri V. K.
Rane, Shri
Ranga Rao, Shri
Rao, Shri Jaganatha
Rao, Shri Muthyal
Rao, Shri Rameshwar
Rao, Shri Thirumala
Saha, Dr. S. K.
Sanji Runji, Shri
Saraf, Shri Sham Lal
Shah, Shrimati Jayaben
Sharma, Shri A. P.
Sharma, Shri D. C.
Sharma, Shri K. C.
Sheo Narain, Shri
Siddiah, Shri
Sidheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Singhvi, Dr. L. M.
Sivappraghassan, Shri K.
Sonavane, Shri
Soundaram Ramachandran, Shrimati
Subbaraman, Shri C.
Swell, Shri
Thevar, Shri V.
Tiwary, Shri R. S.
Tombi, Shri
Uikey, Shri
Valvi, Shri
Varma, Shri Ravindra
Vidyalankar, Shri A. N.
Vyas, Shri Radhelal

NOES

Banerjee, Shri S. M.
Bhawani, Shri Lakhmu
Gupta, Shri Indrajit
Kachhavaiya, Shri
Keishing, Shri Rishang
Lohia, Dr. Ram Manohar
Mandal, Shri B.N.
Misra, Dr. U.
Nambiar, Shri
Swamy, Shri Sivamurthi
Utiya, Shri
Yadav, Shri Ram Sewak

Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is:

Ayes 96; Noes 12.

The motion was adopted.

Shri Raghunath Singh: I introduce theBill.

श्री राम सेवक यादव : यह बहुत ही शर्मनाक विधेयक है । जब संकटकालीन स्थिति हो, देश में मंहगाई हो और तीन आने रोज में २७ करोड़ आदमी . . . .

श्री कछवाय : मैं वाक आउट करता हूं । *(Interruptions.)*

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Members who want to go out, may go out.

डा० राम मनोहर लोहिया : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जाते वक्त तो इन को खुश होना चाहिये था कि रास्ते से कांटा हट रहा है। फिर भी यह चिल्लाते हैं जैसे मालूम होता है कि गले में कांटा फंस गया है । *Interruptions.)*

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. I cannot understand this disturbance.

At this stage, Dr. Ram Manohar Lohia and some other hon. Members left the House.

15.20 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(Amendment of articles 84 and 173)
by Shri Hari Vishnu Kamath

Mr. Deputy-Speaker: I shall now put Shri Kamath's Bill to the vote of the House; it was adjourned last time for want of quorum.

This being a Constitution (Amendment) Bill, voting has to be by Division.

The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration."

The Lok Sabha divided.

AYES

Div. No. 17]

Banerjee, Shri S. M.
Brajeshwar Prasad, Shri
Chatterjee, Shri N. C.
Kamath, Shri Hari Vishnu
Kapur Singh, Shri
Singhvi, Dr. L. M.
Swell, Shri
Swamy, Shri Sivamurthi

15.27 hrs.

Vishram Prasad, Shri
Yashpal Singh, Shri